

L.A. 5
6/11/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction Cases)

C. W. J. C. No. of 2013

ROSHAN ARA.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Subject:- *Selection matter (Anganbadi service)*

INDEX

<u>Serial No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India with Affidavit.....	01---07
2. Annexure-1	A Photo copy of the Receipt.....	8
3. Annexure-2	A Photo copy of the Guideline, vide Letter No. ICDS/30010/1-211/423.....	9 - 10
4. Annexure-3	A Photo copy of Letter No. 189 dated 29.08.2013.....	12
5. Annexure-4	A Photo copy of representation dated 23.07.2013.....	13
6. Annexure-5	A Photo copy of representation dated 20.08.2013.....	14
7. Annexure-6	A Photo copy of Affidavit.....	15
8. Annexure-7	A Photo copy of Affidavit dated 20.06.2013....	15
9. Annexure-8&8/1,	Photo copies of application dated 18.11.2013 & copy of required	16-17
10.	VAKALATNAMA	

SYNOPSIS

Application for by way of writ to directing the respondents 3 to appoint the petitioner on the post of Aanganbari Sevika on the basis of her good academic record.

Annexure-1- Application submitted by the petitioner on 27.06.13.

Annexure-2- Guideline in year 2011 for selection.

Annexure-3- Letter no. 159 dated 29.08.13 was communicated to the petitioner by the respondent no.-4.

Annexure-4- 23.07.13 submitted representation before C.D.P.O. for publication of merit list.

Annexure-5- 20.08.13 another representative.

(ii)

Annexure-6- Petitioner filed affidavit requiring her Birth.

Annexure-7- Husband of the petitioner filed affidavit that no relative is in Government service.

Annexure-8- Information getting order R.T.I. on 18.11.13 regarding disposal of objection filed by respondent no.-4.

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction Cases)

C.W.J.C. No.of 2013

In the matter of an application under
Article 226 of the Constitution of
India.

AND

In the matter of:-

ROSHAN ARA wife of Md. Ahlullah, resident of Village- Ranipatti, Ward
No. 8, Panchayat Ranipatti Sukhasan P.O.- Ranipatti, P.S.- Kumarkhand,
District-Madhepura.....Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar, through The Secretary, Department of Panchayat
Raj, Old Secretariat, Patna.
2. The District Magistrate, Madhepura.
3. The Child Development Project Officer, Kumarkhand, District-
Madhepura
4. Bibi Jainab, Sahayika, resident of village and Post- Ranipatti,
Sukhasan District- Madhepura.....Respondents.

To,

The Hon'ble Justice Mr. Rekha M. Dinkar, the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh at Patna, and her companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner abovenamed,

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this is an application for issuance of appropriate writ/order/Direction, particularly in the nature of writ of mandamus directing the Respondent No. 3 to appoint the petitioner on the post of ~~Aanganbadi~~ ^{Aanganbadi} Sevika as on the basis of good academic record as the petitioner has obtained about 66% marks in the Maulvi Examination which is equivalent to intermediate.

2. That the main issues involved in the present writ application for consideration by the Hon'ble Court are as follows:-

I. Whether the petitioner is eligible for selection on the post of Aanganbadi Sevika, on the basis of better Academic record than the academic record of other applicants ?

II. Whether the petitioner has achieved 66% marks in the examination of Maulvi for which Madarsa Board conducts the examination ?

III. Whether the objection on the candidature of the petitioner made by the Respondent No. 4 that the father-in-law is a permanent teacher in the Panchayat is sustainable as petitioner living separately with her husband and she has no concern with his in-law's family;

3. That petitioner is the citizen of India and residing within the territorial jurisdiction of the Hon'ble Court.

4. That the petitioner is the applicant for the post of Aanganbadi Sevika for which submitted the application, on 27.06.2013, for which receipt has been granted.

A Photo copy of the Receipt is being annexed herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

5. That the petitioner belongs to Muslim community and has submitted application for selection on the post of Aanganbadi Sevika.

6. That in the year 2011, a guideline was issued for selection of Aanganbadi Sevika/Sahayika. The guideline was circulated among all the District Magistrate in the State of Bihar, vide Letter No. ICDS/30010/1-211/423 dated 03.02.2012.

A Photo copy of the Guideline, vide Letter No. ICDS/30010/1-211/423 is being annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

7. That an objection was filed by the Respondent No. 4 on the candidature of the petitioner and a Letter No. 189 dated 29.08.2013 was communicated to the petitioner from the Office of Child Development Project Officer, (in short CDPO), intimating her, that on 8.09.2013, hearing on the objection was fixed and the petitioner was asked to appear in the chamber of CDPO for hearing, in the forenoon.

A photo copy of Letter No. 189 dated 29.08.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure-3 to this petition.

8. That the petitioner on 23.07.2013, submitted representation before CDPO, Madhepura praying therein to make publication of merit-list but nothing has been done.

A Photo copy of representation dated 23.07.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure-4 to this petition.

9. That finally, petitioner submitted another representation dated 20.08.2013 before the District Magistrate to direct the CDPO for publication of merit-list so that selection can be made on the basis of merit of the candidates.

A Photo copy of representation dated 20.08.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure-5 to this petition.

10. That petitioner has filed affidavit duly sworn before Notary Public, by her Date of Birth according to ~~Pokania~~^{Pokania} Certificate is 12.09.1992.

A Photo copy of Affidavit is being annexed herewith and marked as Annexure- 6 to this petition.

11. That husband of the petitioner has also sworn affidavit. That no relative is in Government Service, nor any government servant being his relative holding any government form.

A Photo copy of Affidavit dated 20.06.2013 is being annexed herewith and marked as Annexure- 7 to this petition.

12. That petitioner has sought information under RTI- (Right to Information) Act, on 18.11.13, regarding disposal of objection filed by Respondent No. 4 and required information was supplied to her.

Photo copies of application dated 18.11.2013 and copy of required information are being annexed herewith and marked as Annexure- 8 & 8/1 to this petition.

13. That from the facts stated in the foregoing paragraphs, it is clear that the despite several attempts made by the petitioner for her selection on the post of Aanganbadi Sevika. But even though the petitioner has higher marks among the applicant but she has not being considered for selection.

14. That the petitioner has no any other adequate, alternative and efficacious remedy than the remedy sought for in the present writ petition.

15. That no other writ petition has ~~ever~~^{never} been filed in the Hon'ble Court on behalf of the petitioner for redressal of his grievance or for the relief as sought for in para-1 of the present petition.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this writ petition, issue RULE NISI calling upon the respondents to show cause, as to why the relief sought for in para-1 of the present writ petition be not allowed, and after return of the Rule, and after hearing the parties, be further pleased to make the Rule absolute and allow the present writ petition.

AND/OR

Pass such other order or orders, as your Lordships may deem fit and proper in the circumstances of the case.

And for this act of kindness, the petitioner shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Roshan Ara aged about 29 years, Wife of Md. Ahlullah, resident of village- Ranipatti, Ward No.8, Panchayat Ranipatti Sukhasan, P.O. Ranipatti, P.S. Kumarkhand, Distt. Madhepura.do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That I have gone through the contents of this writ application and it has been explained to me in Hindi which I have fully understood the same.
3. That the statements made in paragraph nos. 5, 13 and those made in paragraph nos. 4, 6 to 12 are true to my knowledge and the rest are true to my information derived from the records of the case and the rest are by way of submission to this Hon'ble Court.
4. That the annexure are true /typed /photo copies of their respective originals.

Annexure 1

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमती रेश्मा थारा पति का नाम श्री. अशोकभाऊ से रातौपट्टी सुरक्षा खत वाई -
 संवायत अन्तर्गत ०४ अँगनवाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहप्रथिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में
 उल्लिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या ०२ है।

दिनांक- 27/06/2012
 स्थान- कुपारप्रण्ड

(Signature)
 प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर,
 पूरा नाम एवं पदनाम

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्रांक-10 DS/30010/1-2011

दिनांक -

प्रेषक:

शंदीप पौण्डरीक
सचिव
समाज कल्याण विभाग

प्रेष्य:

सभी जिला पदाधिकारी

विषय - सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन।

महाशय,

उपरोक्त विषय में सरकार द्वारा सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 04.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरंत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं :-

1. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 2 में निम्न परिभाषा जोड़ी जाती है:-

2 (घ) "बाहुल्य वर्ग" से अभिप्रेत है आँगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु.जनजाति, अनु.जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग।

2. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 4.2 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :-

4.2 चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवारों में से ही किया जायेगा। बशर्ते वे कंडिका 4 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अहर्ताएँ पूरी करती हों। चयन हेतु कंडिका 5 के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहुल्य वर्ग में से सभी अहर्ताएँ प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम

दो) हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा :-

1. अनु.जनजाति
2. अनु.जाति
3. अतिपिछड़ा वर्ग
4. पिछड़ा वर्ग
5. अल्पसंख्यक
6. सामान्य

(ब्याख्या - अगर किसी पिछड़ा वर्ग बाहुल्य पोषक क्षेत्र में एक भी पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार सभी अर्हताए प्राप्त नहीं है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 1. 'अनु.जनजाति' वर्ग के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। पुनः अगर अनु.जनजाति में भी ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 2. अनु.जाति के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। यह प्रक्रिया इसी प्रकार अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग तक आवश्यकतानुसार अपनाई जाती रहेगी जब तक अर्हता प्राप्त उम्मीदवार नहीं मिल जाता)

3. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 5.3 और 5.5 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :-

5.3 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जायेंगे :-

(क) विधवा/परित्यक्ता	- 7 अंक
(ख) विकलांग	- 5 अंक
(ग) सहायिका	- 5 अंक

5.5 कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी :-

1. विधवा
2. परित्यक्ता
3. विकलांग
4. सहायिका

12

महिला - विधवा उम्मीदवार (ससुराल/भायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनीवेवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की विधि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

4. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 9.1 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :-

9.1 सेविका और सहायिका अधिकतम 60 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका और सहायिका स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका और सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी।

5. मार्गदर्शिका, 2011 में कंडिका 12 के बाद निम्न कंडिका समाहित की जाती है :-

13. इस मार्गदर्शिका की कंडिका 8.18, 9.1 और 9.2 पूर्व से कार्यरत सभी सेविकाओं और सहायिकाओं पर भी लागू होगी।

ये सारे संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उक्त संशोधन के आलोक में चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

₹0/-

(संदीप पौण्डरीक)


सचिव

समाज कल्याण विभाग

ज्ञापक - ICDS/30010/1-2011/493

दिनांक-3/2/12

प्रतिलिपि - सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।



सचिव

समाज कल्याण विभाग

कार्यालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुमारखण्ड

पत्रांक 189 /

प्रेषक :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
कुमारखण्ड।

सेवा में:

श्री/श्रीमती... शौशन आर्य पति मोठ अहमदुल्लाह
वार्ड सं०... 8 ...पंचायत - रानीपट्टी सुलावन

कुमारखण्ड दिनांक 29/8/2013

विषय :- अतिरिक्त/भिनी आँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका चयन में प्राप्त आपत्ति की सूचनाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि अतिरिक्त/भिनी आँगनवाड़ी केन्द्रों पर सेविका/सहायिका चयन हेतु प्राप्त आवेदन में आवेदिकाओं के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति की सूचनाई दिनांक 09.09.2013 को बाल विकास परियोजना कुमारखण्ड के कार्यालय वेशम में 9 वजे पूर्वाह्न से अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा की अध्यक्षता में प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति द्वारा किया जायगा।

अतः आपके द्वारा लगाये

गये आपत्ति राक्ष्य के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपरिधत होकर अपना पक्ष रखें।

KS
29/8/13
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
कुमारखण्ड।
सा/सा/13

सवा में,

श्रीमान् बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

कुमारखण्ड [मधेपुरा] ।

विषय :- मेधा सूची सुधार कर प्रकाशित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निवेदन पुर्यक कहना है कि मैंने ग्राम पंचायत-रानीपदटी सुजातन वार्ड नं०-०८ के आंगनवाड़ी केन्द्र सेविका पद हेतु आवेदन लिया है। कार्यालय में प्रदर्शित मेधा अंक में वर्ग बाहुल्य के अनुस्य सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है, जबकि निदेशक आई.सी.डी.एस. बिहार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि सेविका का चयन सम्बन्धित पौषक क्षेत्र बाहुल्य वर्ग की मीटिंग का ही दिया जाएगा । उक्त पत्र की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा सभी सी० डी० पी० ओ० को हस्तगत भी करा दिया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वार्ड नं०-०८ जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, के अनुस्य मेधा सूची का प्रकाशन करने की कृपा की जाय ।

प्रार्थी
रोशन आरा

सम *
पति :-

मो० अहमदुल्लाह

ग्राम-मो० :- रानीपदटी

पंचायत-रानीपदटी सुजातन वार्ड नं० ८

खण्ड-कुमारखण्ड

जिला- मधेपुरा ।

दिनांक :- 23-07-2013

Krishna
23/7/13

ANNEXURE-5.

144



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION & DEEDS PROMOTION DEPT.
MADHEPURA'S CORE, MADHEPURA

भारत
STAMP DUTY
00000
00000070


बिहार
JUDICIAL

समान नं. नौदरी मण्डल, मधेपुरा

सुधारनामा व शपथ-पत्र

5725
NO. 7.12.23

Date: मैं रोशन आरा पति मो० अहलुलाह, ग्राम पांचायत - रानीपट्टी
वार्डन० ४ थाना कुमारखण्ड जिला मधेपुरा का स्थायी निवासी हूँ
धर्मपूर्वक शक्यता करता हूँ कि -



1. यह कि मैं उक्त पता का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि मैं सेविका / सहायिका / पद के लिए सटीक व योग्य हूँ मेरी शैक्षणिक योग्यता इन्टर / मौलवी / उत्तीर्ण हूँ मेरी जन्म तिथि 12.9.1992 ई० है।
3. यह कि मेरा कोई रिश्तेदार / सम्बंधी, जनप्रतिनिधि नहीं है नहीं किसी जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार सम्बंधी है।
4. यह कि मधेपुरा जिला में पदस्थापित सरकारी सेवक मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। झूतवत लिखा गया जबकि सत्यता है कि मेरे पति मो० अहलुलाह के पिता मो० गुलाम मुस्तुफा शिक्षक के पद पर उत्कृष्ट नॉर्वि० समका व परिवारी प्रखण्ड कुमारखण्ड जिला मधेपुरा में शिक्षक पद पर स्थापित है एवं इनसे कबल 5-6 वर्षों से मेरे पति के साथ सम्बंध अच्छा नहीं है। एवं मेरे पति किसी प्रकार व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करते है।
- 5- यह है कि सेविका/सहायिका पद हेतु मेरे द्वारा तय किए सभी कागजात सही व सत्य है।
- 6- यह कि उक्त घोषणा मैं निष्ठापूर्वक कर रही हूँ।

सत्यापन

मैं पुनः धर्म एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित सारी बातें मेरी निजि ज्ञान व विवेका से सही एवं सत्य है।

Signature
Date: _____

आपसकरी
रोशन आरा
मधेपुरा
4/12/23

4/12/23



15

समक्ष में, *Anil Kumar*
नोटरी पब्लिक, मधेपुरा

No. 2837 Date.....
22/06/2013

शपथ-पत्र

मैं मो० अहलुल्लाह उम्र करीब 34 वर्ष पिता गुलाम मुस्तफा निवासी ग्राम न पो० रानीपट्टी थाना कुमारखण्ड जिला - मधेपुरा धर्म से निम्नांकित बयान करता हूँ-

- 1- यह कि उपरोक्त पता का मैं स्थायी निवासी हूँ।
- 2- यह कि अरस्त करीब पाँच वर्ष पूर्वसे ही मैं अपना व्यवसाय स्वयं कर अपने माता पिता व भाईयो से अलग रहता हूँ ।
- 3- यह कि मुझे मेरे माता पिता व भाईयो के आमद खर्च से कोई सरोकार नहीं है और न ही उनलोगो को मेरे आमद खर्च से कोई लेना देना है।
- 4- यह कि अपने माता से अलग रहकर अपनी जीविकोपार्जन मैं अपनी पत्नी व बच्चो के साथ खुद करता हूँ।
- 5- यह कि ~~परिस्वर~~ उक्त घोषणा मैं निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ।

मैं पुनः स्वरार करता हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सारी बातें मेरी निजि जानकारी से विलकुल सत्य वो सही है।



मो० अहलुल्लाह
शपथकर्ता

पहचानकर्ता
Anil Kumar
22/6/13
अधिसक्ता ।

Mr./Smt. *Ma. Ahlulbah*
who is identified by.....
Nain Kumar
Advocate Madhepura
Solemnly affirm and declared
before me that the contents of this
affidavit the correct.

Attested
Abdul Ali
Abdul Ali

Anil Kumar
NOTARY
REGD. NO. 7165-2-J/12

पृष्ठ सं. 329 / दिनांक - 18/11/13

प्रेषक :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
कुमायूँ

सेवा में,

श्री. अहलुवाल

ग्राम पंचायत - शनीपट्टी मुख्यालय, वार्ड नं-8

विषय :- सूचना अधिका के तहत माँगी गई सूचना
उपलब्ध करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा सूचना
अधिका के तहत प्राप्त आवेदन जिसका आईडी
सं. - 55 एवं 56 है, के आसोड में शनीपट्टी
मुख्यालय वार्ड नं-8 के आँगनवाड़ी सेविका एवं
सहायिका ^{पदक} श्री अम्बरी द्वारा लगाए गए आपत्ति
के निवारा से संबंधित अतिप्रामाणित प्रतिज्ञाप
पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा
रहा है।

अनुसन्धक- श्री. पन्ना

विभागाध्यक्ष
18/11/13
बाल विकास परियोजना
कुमायूँ

ए नै क स च र ----४

कार्यालय, बाल विकास परियोजना, कुमारखाण्ड

पत्रांक -329

दिनांक :- 18-11-13

प्रेषक :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
कुमारखाण्ड ।

सेवा में,

मो० अहमदुल्लाह

ग्राम पंचायत-रानीपट्टी सुंखासन, वार्ड नं० ११

विषय :- सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।


उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा सूचना अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन जिसका आई०डी०सी० 55 खंड 55 है, के आलाोक में रानीपट्टी सुंखासन वार्ड नं० ११ के अगिनबाड़ी सेविका खंड सहायिका पद के सभी अभ्यर्थी द्वारा लगाए गए आपत्ति के निबटारा से संबंधित अभिप्राणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अनुलग्नक= १: पन्ने ।

विश्वासभाजन

ह/०-३०

18-11-13



क्र. सं.	आयुक्तिका का नाम (15)	पंचायत/गाँव	आयुक्तिका विवरण	व्य. क्र. (प. 15)	विशेष टिप्पणी
01	कीर्ति अंतक (वहा) ग्राम + पो. 1 शानीपही खुला खेत	शानीपही शुरुवात वार्ड नं. 8	मेधा खूनी के प्रथम स्थान पर अंकित रोजाना आरा के लक्ष्य के. अ. ए. पुस्तक को भी शिक्षक हैं।		व्याप्त संलग्न नहीं हैं। प्रिया कुशा करिदाई की जाएगी

16
22/8/13

दि.
मा.
नं.
पं.
पं.
पं.
पं.
पं.
पं.

इसका कल्याण है कि शैक्षणिक आरा प्रति
मा. अर्थव्यवस्था के लक्ष्य लक्ष्य है
मा. शिक्षक है।
लक्ष्य लक्ष्य के शिक्षक
पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी
प्रिया के प्रशासनिक पं. के आचार्य
के मा. लक्ष्य अर्थव्यवस्था के लक्ष्य
की जाएगी

22/8/13

क्र.सं.	आपत्तिकी का विवरण	पंचायत	आपत्तिकी विवरण	क.लि.पॉ.पत्र का संख्या	आपत्तिकी का संख्या
02 27/12	पिकी कुमायी आम.पं.सं. शानीपही कु.क. सन	शानीपही रकुजवन वाटका 8	भेरा (न्याय) का भेरा पत्र नहीं जोड़ा गया है। भेरा डूबने के क्योंकि वे भेरा को भेरा पत्र कदाका दिखा है।	अमानत प्राप्त पत्रों को देने के पत्रों में निम्न अंक-पत्र पर जोर अंक-पत्रों का अन. आपत्तिकी का है। निम्न का कलिपॉ.पत्री आरती। 19/12/15	

इसका कदम है कि सुनने में आने के
बाद कुछ नहीं पता चलता है
सुनने के समय में इन्होंने
परीक्षा की है पत्र 2 का
अनुसंधान में आने के
बाद भी आपत्तिकी
उत्तीर्ण की है।
इसका कदम है कि सुनने में
आने के बाद भी आपत्तिकी
उत्तीर्ण की है।
इसका कदम है कि सुनने में
आने के बाद भी आपत्तिकी
उत्तीर्ण की है।

क्र.सं.	आपत्तिकता का नाम एवं पता	पेनाल्टी/वर्ग	आपत्ति का विवरण	कार.वि.पति.पदा दि.सं.व्य.	अनुभव.त.मिति दि.सं.व्य.
03 23/7/13	श्रीमान आर्य पति-मो.रुहण पत्त -	शनीपट्टी खुलापन गड्डे 08	काठुण्य वही के अधुलप मेफा धुन्नी प्रकामन काने के संलग्न में।	निचमातुआ करिवार्द की काए 22/8/13	

अनुपस्थिति

इ-नाम कृपया है। आपत्ति
 न घातकी न काठुण्य वा संसुख
 यशरित नही बिना जाय। है।
 यह काठुण्यसंलग्न व.। का ही
 है। पर पर काठुण्यसंलग्न का
 यपन बिना जाहान

(Signature)

ए नै क स च र --- 9/1

क्रमांक आपीत्तकर्त्ता का पता/ आपीत्त का बालविधिरा अनुभवण समिति
नाम एवं पता वार्ड नं० विवरण पदा का मंतव्य का मन्तव्य

01
23-7-13

बीबी जैनबसहा 08 रानीपट्टी मेघा सूची के साध्य संलग्न
ग्राम- गो 0-रानी- सुखासन प्रथम स्थान नहीं है नियमा-
पट्टी सुखासन वार्ड 0-9 पर अंकित नुसार कार्यवाई

रौशन आरा की जाएगी ।

के संसुर मो 0

ह 07-30

अहलुल्लाह

22-8-13


स्थायी

शिक्षक है ।

इनका कहना है कि रौशन आरा पति मो 0 अहलुल्लाह के संसुर
सरकारी स्कूल में शिक्षक है ।

सरकारी सेवकों के रिश्तेदारों के संबंध में विभागीय निर्देशक तथा
कवळकळ विभाग के प्रासांगिक पत्र के आलोक में संशोधित अन्तर
कार्यवाही की जाएगी ।

ह 07-30




क्रमांक/ तिथि	आपीत्तकर्ता का नाम एवं पता	पंचायत/ वार्ड नं०	आपीत्त का विवरण	बातचीत करी० पदा० का मन्तव्य	भूषण समिति का मन्तव्य
02/ 23-7-13	शिकी कुमारी ग्राम-गो० रानीपट्टी सुखासन	रानीपट्टी सुखासन वार्ड नं०-8	मेरा स्नातक का अंक पत्र नहीं जोड़ा गया है। मेघा सूची के क्रमांक 01 के अन्वये अंक-पत्र बढ़ाकर दिया है।	स्नातक फाईनल परीक्षा होने के पश्चात् निर्गत अंक-पत्र पर बोनस गिव अंक दिया जाता है। अतः आपीत्त निरा- धार है। नियम -नुसार कार्यवाई की जाएगी।	ह 1-30

इनका कहना है कि उनसे स्नातक के बोनस अंक नहीं जोड़ा गया है सुनवाई के क्रम में उन्होंने कहा कि पार्ट-2 का परीक्षा दी है।

विभाग निदेश के अनुसार स्नातक में उत्तीर्णता तभी माना जाएगा जब तीनों खण्डों का परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

उनका यह भी कहना है ममता कुमारी मनीषा कुमारी का अंक पत्र फेजे है तथा साध्य स्वरूप विवि० परी० समिति द्वारा मैट्रिक की जायागीत प्रस्तुत की है।

निर्दिष्ट दिया जाता है कि विभागीय निदेश तथा भावनेक द्वारा समर्पित साध्य के आधार पर अगुत्तर कार्यवाही की जायगी।



क्रमांक तिथि	आपीतकर्ता का नाम एवं पता	पंचायत कार्ड नं०	आपीत का विवरण	बाँटविपरिणाम का मन्तव्य	अनुपस्था समिति का मन्तव्य
-----------------	-----------------------------	---------------------	------------------	----------------------------	---------------------------------

03
23-7-13

रौशन आरा पति मो० अहमूँ- ल्लाह	रानीपट्टी सुखासन	बाहुल्य वर्ग के अनुरूप मेधा सूची प्रकाशन	नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी		
-------------------------------------	---------------------	--	---------------------------------	--	--

करने के संबंध में
ह/अ-अ०
22-8-13

अनुपस्थिति

इसका कहना है । प्रकाशित
मेधा सूची बाहुल्य वर्ग के अनुरूप प्रकाशित नहीं किया
गया है । यह अल्पसंख्यक वर्ग का क्षेत्र है । यह पर अल्पसंख्यक
का चयन किया जाएगा ।

ह०-

